उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 129 /गोपनीय/2019
दो–2–1/2018 (भाग–बी)

जबलपुर, दिनाक 07 फरवरी, 2019

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित न्यायिक अधिकारी, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के **आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3(ए)2017/21–ब(एक), दिनांक 10–01–2019 एवं 21–01–2019** द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवा में **जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)** के पद पर वेतनमान 51550–1230–58930–1380–63070 में अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर या अन्य आदेश तक नियुक्त किया गया है, को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रशिक्षण हेतु पदस्थ करता है:–

सारणी

क्र.	नाम	पदस्थापना का स्थान	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	**श्री संजय अग्रवाल,** (प्रतीक्षा सूची क्रमांक 02) (आदेश क्रमांक 82)	**सागर**	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **सागर** के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से।
2.	**श्री सुनील कुमार,** (प्रतीक्षा सूची क्रमांक 11) (आदेश क्रमांक 331)	**दमोह**	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **दमोह** के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

07/2/19

(अरविंद कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 130 /गोपनीय/2019
दो–2–1/2018 (भाग–बी)

जबलपुर, दिनाक 07 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि:–

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल–6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल–462004, को सूचनार्थ अग्रेषित।
3 प्रधान महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर–474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
4 महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश–ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
5 (1) **श्री संजय अग्रवाल पुत्र स्व. श्री अमीचन्द अग्रवाल, निवास– म.नं. 217, द्वितीय तल, शारदा निकेतन, पीतमपुरा, दिल्ली 110034,**
(2) **श्री सुनील कुमार पुत्र श्री मदन लाल, निवास– म.नं. 512, ग्राम साहिबाबाद, थाना लिंकरोड, पोस्ट आई.ई. साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश 201010**
को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया यथाशीघ्र अपनी पदस्थापना के स्थान पर आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें तथा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी सूचना, इस रजिस्ट्री को यथाशीघ्र प्रेषित करें।

6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **सागर / दमोह** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे नव नियुक्त न्यायाधीश को उनकी पदस्थापना के स्थान पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। उपरोक्त आदेश में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर द्वारा उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना पृथक से प्रेषित की जावेगी। कृपया सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी सूचना, इस रजिस्ट्री को यथाशीघ्र प्रेषित करें।

7. संभागीय आयुक्त ---------------जिलाध्यक्ष -------------- को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि जनरल पूल का आवास गृह न्यायिक अधिकारी के आधिपत्य में होने की दशा में उक्त आवासग्रह का आवंटन उक्त न्यायिक अधिकारी के उत्तराधिकारी अथवा प्रचलित परिपाटी के अनुसार अर्हता प्राप्त न्यायिक अधिकारी को करने का कष्ट करें। और ऐसे आवंटन की सूचना संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को देने का कष्ट करें ।

8. रजिस्ट्रार (आई0टी0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई–मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :–

(1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, **जबलपुर**/जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0–1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, **इन्दौर**–452001/जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, **ग्वालियर** (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।

(2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।

(3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित ।

(4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

(5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

(6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (आई0एल)/ (न्यायिक–2)/ (न्यायिक–1)/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

(7) संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

9 रजिस्ट्रार (ई0)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

10 रजिस्ट्रार–कम–माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।

11 माननीय न्यायाधिपति श्री ____________________ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।

12 माननीय न्यायाधिपति श्री ____________________ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।

13 माननीय न्यायाधिपति श्री ____________________ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।

14 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

15 अनुभाग अधिकारी, पेन्शन / बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

टिप्पणी :– रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

07/2/19

(अरविंद कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल